रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012025-260559
CG-DL-E-28012025-260559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2025/माघ 8, 1946
No. 52]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2025/MAGHA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 81(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन, समूह- 'क', भर्ती नियम, 2020 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में उप निदेशक प्रवर्तन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन (समूह- 'क'), पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि**: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक प्रवर्तन	150 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; और

			(ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रोन्नति:

ऐसे सहायक निदेशक प्रवर्तन, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56100-177500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है और जो विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष,जो भी कम हो, कम न हो और उन्होनें अपने कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चत्तर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सहित राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ शासित प्रदेश पुलिस संगठन या केंद्रीय जांच अन्वेषण या भारतीय रिजर्व बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी हैं, के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं एवं अनुभव हो अर्थात् -

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की डिग्री।

(ii) जिनके पास राजवित्तीय या बैंकिंग / लेखा या संपरीक्षा से संबंधित आसूचना, अन्वेषण और विधिक कार्य या न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण 1: भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए:-

(क) (i) ऐसे अधिकारी जो समूह 'घ' (उप महाप्रबंधक) जो 110050-3550/ 2-117150-3700/ 5-135650-3900/ 1-139550 रुपये के ग्रेड एवं वेतनमान में नियमित आधार पर कार्यरत हैं;या

(ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'ग' (सहायक महाप्रबंधक) में 77950-2850/ 3-86500-3100/ 2-92700-3300/ 4-105900-इबी-3300/ 2-112500-3550/ 1-116050 रुपये के ग्रेड एवं वेतनमान पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, चयन के क्षेत्र में विचार किया जाएगा; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं एवं अनुभव हो अर्थात् –

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की डिग्री; और

(ii) जिनके पास राजवित्तीय या बैंकिंग / लेखा या संपरीक्षा से संबंधित आसूचना, अन्वेषण और विधिक कार्य या न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण 2: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के लिए:-

(क) (i) ऐसे अधिकारी जो वेतनमान-V (सहायक महाप्रबंधक) 120940-3360/ 2-127660-3680/ 2-135020 रुपये में नियमित आधार पर कार्यरत हैं; या

(ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतनमान-IV (मुख्य प्रबंधक)102300-2980/ 4-114220-3360/ 2-120940 रुपये के ग्रेड एवं वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, चयन के क्षेत्र में विचार किया जाएगा।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं एवं अनुभव हो अर्थात् –

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की डिग्री; और

(ii) जिनके पास राजवित्तीय या बैंकिंग / लेखा या संपरीक्षा से संबंधित आसूचना, अन्वेषण और विधिक कार्य या न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण3: पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 5: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (I) अपर सचिव, राजस्व विभाग - (अध्यक्ष)। (II) प्रवर्तन निदेशक - (सदस्य)। (III) संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग –(सदस्य)।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2024-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

G.S.R. 81(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Deputy Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Deputy Director of Enforcement.	150* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) fifty per cent by promotion, failing which by deputation (includingshort-term contract); and (ii) fifty per cent by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)

Promotion :

Assistant Director of Enforcement in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years of regular in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the Central Government.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the All India Services or Central Services or Central Government or State Governments including State Police Organisations or Union territory Administrations including Union territory Police Organisations or Central Bureau of Investigation or Reserve Bank of India or Public Sector Banks:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre of department; or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience, namely :-

(i) bachelor degree in any subject from a recognized University; and

(ii) with five years' experience in the field of intelligence, investigation and legal work or adjudication or prosecution relating to fiscal or banking or accounts or in audit.

Note 1: For Reserve Bank of India :—

(a) (i) officers working on a regular basis in Grade D (Deputy General Manager) having grade and scale of pay of Rs. 110050-3550/2-117150-3700/5-135650-3900/1-139550; or

(ii) officers having five years of regular service in Grade C (Assistant General Manager) having grade and scale of pay of Rs. 77950-2850/3-86500-3100/2-92700-3300/4-105900-EB-3300/2-112500-3550/1-116050 will be considered in the field of selection; and

(b) possessing the following educational qualification and experience, namely :-

(i) bachelor degree in any subject from a recognized University; and

(ii) with five years' experience in the field of intelligence, investigation and legal work or adjudication or prosecution relating to fiscal or banking or accounts or in audit.

Note 2: For Public Sector Banks :—

(a) (i) officers working on a regular basis in Scale-V (Assistant General Manager) having grade and scale of pay of Rs. 120940-3360/2-127660-3680/2-135020; or

(ii) officers having five years of regular service in Scale-IV (Chief Manager) having grade and scale of pay of Rs. 102300-2980/4-114220-3360/2-120940 will be considered in the field of selection; and

(b) possessing the following educational qualification and experience, namely :-

(i) bachelor degree in any subject from a recognized University; and

(ii) with five years' experience in the field of intelligence, investigation and legal work or adjudication or prosecution relating to fiscal or banking or accounts or in audit.

Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 4: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

Note 5: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary, Department of Revenue – Chairperson; 2. Director of Enforcement – Member; 3. Joint Secretary, Department of Revenue – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/2/2024-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.28 19:43:58 +05'30'